झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

संख्या– वन्यप्राणी–03/2005 (खण्ड) 5916/व०पर्या०, राँची, दिनांक 23.11.15

झारखण्ड जैव विविधता पर्षद का गठन जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 22 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्याः वन्यप्राणी –03/05(खण्ड)–6550, दिनांकः 20.12.2007 के माध्यम से किया गया है जिसका मुख्यालय राँची है।

राज्य में झारखण्ड जैव विविधता पर्षद के अधीन गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियों के विभिन्न विषयों/कार्यो के पर्यवेक्षण हेतु **प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वाले सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी/उप वन संरक्षक (वन्यप्राणी प्रमण्डल एवं पलामू व्याघ्र आरक्ष्य के कोर और बफर क्षेत्रीय प्रमण्डलीय स्थापना सहित)** को जैव विविधता अधिनियम के प्रयोजनार्थ Nodal Officer मनोनीत किया जाता है। नाभिकीय पदाधिकारी का मुख्य कार्य उनके क्षेत्राधिकार अंतर्गत निम्नलिखित होगा :–

1. जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा किये जा रहे कार्यो का पर्यवेक्षण;
2. जैव विविधता प्रबंधन समितियों को हस्तांतरित राशि (अनुदान/ऋण) का पर्यवेक्षण;
3. जिला स्तरीय गठित तकनीकी सहायता समूह से समन्वयन;
4. जन जैव विविधता पंजी के निर्माण कार्यो का पर्यवेक्षण;
5. पर्षद द्वारा जारी आदेशों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन।

नाभिकीय पदाधिकारियों (Nodal officers) के reporting authority सदस्य सचिव, झारखण्ड जैव विविधता पर्षद होंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– वन्यप्राणी–03/2005 (खण्ड) 5916/व०पर्या०, राँची, दिनांक 23.11.15

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ सरकार को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– वन्यप्राणी–03/2005 (खण्ड) 5916/व०पर्या०, राँची, दिनांक 23.11.15

प्रतिलिपि– सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड, नई दिल्ली-110003/वन महानिदेशक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड, नई दिल्ली-110003/राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, 5वां तल्ला, TICEL Biopark, Taramani, Chennai- 600 113 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के उप सचिव

Jharkhand Biodiversity Board
Ref. No. 148
Date 30/11/2015
Van Bhawan, Doranda, Ranchi-02

ज्ञापांक–वन्यप्राणी–03/2005 (खण्ड) 5916/व०पर्या०, राँची, दिनांक 23.11.15

प्रतिलिपि– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/महामहिम राज्यपाल के सलाहकार के सचिव/**मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव**, झारखण्ड, राँची/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड के सचिव/सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक –सह– कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं अन्य मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/11/15

सरकार के उप सचिव

(91)